अध्याय V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के, वर्ष 2022–23 के लिए (अथवा उसके पूर्व के वर्षों का जिनका चालू वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किया गया है), वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, निर्गत की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कम्पनियों की परिभाषा

सरकारी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 2(45) में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है एवं इसमें ऐसी कम्पनी भी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

5.3 एस0पी0एस0ई0 एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं वैद्यानिक निगम शामिल हैं। एस0पी0एस0ई0 की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने के लिए की गई है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2023, तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, बिहार में 76 एस0पी0एस0ई0 थी, जिनमें तीन[2] सांविधिक निगम, 69 सरकारी कम्पनियाँ (39[3] अकार्यशील सरकारी कम्पनियों

---

[1] कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवाँ आदेश, 2014 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा निर्गत किया गया।

[2] बिहार राज्य भंडारण निगम, बिहार राज्य परिवहन निगम तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[3] 31 मार्च 2022 तक 40 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कंपनी खगौल लिमिटेड का नाम सूची से काट दिया गया है।

सहित[4]) एवं चार[5] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थीं। इन एस0पी0एस0ई0 के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में दिये गये हैं। कोई भी एस0पी0एस0ई0 शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है।

राज्य में 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 (परिसमापन के अधीन पाँच सहित) हैं। इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी निवेश ₹ 196.71 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 156.15 करोड़ और अन्य: ₹ 40.56 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋणों ₹ 590.21 करोड़ (राज्य सरकार : ₹ 540.56 करोड़ और अन्य : ₹ 49.65 करोड़) सहित ₹ 786.92 करोड़[6] का निवेश है। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देता है।

चूँकि 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 पाँच वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रही थी, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका वास्तविक योगदान और उनका वित्तीय प्रदर्शन निर्धारित नहीं किया जा सका तथा, इसलिए, राजकोष में इनके योगदान को भी राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवेदित नहीं किया गया। अतः, केवल 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण इस अध्याय में शामिल किया गया है एवं अनुवर्त्ती कंडिकाओं में इस पर चर्चा की गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) से एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस0पी0एस0ई0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर का विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर एवं जी0एस0डी0पी0 **तालिका 5.1** में दिया गया है ।

तालिका 5.1 : 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर एवं बिहार के जी0एस0डी0पी0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	18,056.98	22,226.47	21,948.47
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	341.41	341.41	341.41
अन्य एस0पी0एस0ई0	1,813.36	1,826.69	1,826.69
कुल	**20,211.75**	**24,394.57**	**24,116.57**
बिहार की जी0एस0डी0पी0	5,67,263	6,50,302	7,51,396
बिहार की जी0एस0डी0पी का टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	3.18	3.42	2.92
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	0.06	0.05	0.05
अन्य एस0पी0एस0ई0	0.32	0.28	0.24
कुल	**3.56**	**3.75**	**3.21**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के टर्नओवर आँकड़ों तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन, बिहार सरकार के जी0एस0डी0पी0 आँकड़ों के आधार पर संकलित)

बिहार की जी0एस0डी0पी0 में, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का योगदान, वर्ष 2020–21 के 3.56 प्रतिशत से घटकर, वर्ष 2022–23 में 3.21 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022–23 में जी0एस0डी0पी0 में ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का योगदान 2.92 प्रतिशत था, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का योगदान 0.05 प्रतिशत था।

हालाँकि जी0एस0डी0पी0 में 'अन्य' क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का योगदान न्यूनतम (0.24 प्रतिशत से 0.32 प्रतिशत तक) था, जिसमें जिला कार्यालयों में कार्मिकों सहित 4,356 कर्मचारी (स्थायी/

[4] अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

[5] भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[6] अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर।

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर) थे। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार ने ऐसे एस0पी0एस0ई0 में ₹ 1,889.51 करोड़ (अंश पूँजीः ₹ 846.65 करोड़ तथा दीर्घकालिक ऋणः ₹ 1,042.86 करोड़) का निवेश किया था। इसके अतिरिक्त, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, बिहार सरकार द्वारा, इन एस0पी0एस0ई0 में से सात को ₹ 559.81 करोड़ रुपये का अनुदान एवं सब्सिडी प्रदान की गयी थी।

5.4 एस0पी0एस0ई0 में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी धारिता एवं ऋण

31 मार्च 2023 तक, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में, प्रक्षेत्रवार कुल अंश पूँजी, राज्य सरकार की अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण (राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित), को **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2 : एस0पी0एस0ई0 में प्रक्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवेश[7]					कुल अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत (प्रक्षेत्रवार)
	कुल अंश पूँजी	राज्य सरकार की अंश पूँजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण	
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	41,231.18	40,866.33	13,835.06	1,363.76	55,066.24	91.92
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	15.86	11.21	2,557.08	2,393.06	2,572.94	4.30
अन्य एस0पी0एस0ई0	1,173.88	846.65	1,092.23	1,042.86	2,266.11	3.78
कुल	**42,420.92**	**41,724.19**	**17,484.37**	**4,799.68**	**59,905.29**	**100.00**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखे)

यह निवेश मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 में किए गए थे, जिनमें 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 59,905.29 करोड़ निवेश में से 91.92 प्रतिशत (₹ 55,066.24 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल 59,905.29 करोड़ के निवेश में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 77.66 प्रतिशत (₹ 46,523.87 करोड़) थी। राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण इस प्रतिवेदन के **कंडिका 2.5.1 और 4.14** में दी गई है।

5.4.2 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022–23 के दौरान कार्यशील अथवा अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के, विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया।

5.5 एस0पी0एस0ई0 से प्रतिफल

5.5.1 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित लाभ

लाभ अर्जित करने वाली एस0पी0एस0ई0[8] की संख्या, 2020–21 में 18 की तुलना में, 2022–23 में 16 थी। अर्जित लाभ 2020–21 के ₹ 463.26 करोड़ से घटकर 2022–23 में ₹ 317.65 करोड़ हो गया था।

[7] निवेश में अंश पूँजी तथा दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

[8] 31 जुलाई 2023 तक प्राप्त लेखे।

अधिकतम लाभ का योगदान करने वाली शीर्ष तीन एस0पी0एस0ई0 को **तालिका 5.3** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.3 : शीर्ष तीन एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने अधिकतम लाभ दिया

एस0पी0एस0ई0 का नाम	लाभ (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	89.53	28.19
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	62.68	19.73
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	31.53	9.93
कुल	**183.74**	**57.84**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

इन तीन एस0पी0एस0ई0 ने अकेले वर्ष 2022–23 के दौरान 16 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 317.65 करोड़) में 57.84 प्रतिशत का योगदान दिया था।

एस0पी0एस0ई0 का शुद्ध लाभ अनुपात[9] **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4 : एस0पी0एस0ई0 का शुद्ध लाभ अनुपात

प्रक्षेत्र	शुद्ध लाभ	टर्नओवर	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,243.96	21,948.47	-
कृषि और संबंद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	341.41	-
अन्य एस0पी0एस0ई0	43.42	1,826.69	2.38
कुल	**(-)2,530.09**	**24,116.57**	**-**

5.5.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी (दिसम्बर, 2009) कि सरकारी अंशपूँजी पर सभी उद्यमों द्वारा न्यूनतम पाँच प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 के लिए कोई तदनुरूपी लाभांश नीति तैयार नहीं की गई थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा न्यूनतम पाँच प्रतिशत प्रतिलाभ का भुगतान किया जाएगा। एस0पी0एस0ई0 द्वारा भुगतान किया गया लाभांश **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5 : एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	लाभांश घोषित करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	-	-	-	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	6.42	11.54	2.10
	अन्य एस0पी0एस0ई0	3	43.50	65.39	319.05
कुल		**4**	**49.92**	**76.93**	**321.15**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

[9] शुद्ध लाभ/टर्नओवर × 100

वर्ष 2022–23 के दौरान, अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 16 एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने लाभ अर्जन किया, उनमें से चार[10] एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित किया, दो[11] एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित करने हेतु पर्याप्त लाभ का अर्जन नहीं किया तथा शेष 10 एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने कुल ₹ 240.68 करोड़ लाभ का अर्जन किया, लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

5.6 ऋण भुगतान

5.6.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात (आई0सी0आर0)

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज चुकाने की कम्पनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए, पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। एस0पी0एस0ई0, जिन पर ब्याज का बोझ था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6 : एस0पी0एस0ई0 की ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	ब्याज	ब्याज एवं करों से पूर्व आय	एस0पी0एस0ई0 की संख्या *	आई0सी0आर0>1 वाली कम्पनियाँ	आई0सी0आर0<1 वाली कम्पनियाँ
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	494.46	(-)1,131.92	6	3	3
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	396.90	78.26	3	-	3
	अन्य एस0पी0एस0ई0	19.49	7.69	5	-	5
	कुल	**910.85**	**(-)1,045.97**	**14**	**3**	**11**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	816.88	(-)917.96	6	3	3
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	396.90	78.26	3	-	3
	अन्य एस0पी0एस0ई0	19.49	2.37	5	-	5
	कुल	**1,233.27**	**(-)837.33**	**14**	**3**	**11**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	799.53	(-)1,218.57	6	2	4
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	396.90	78.26	3	-	3
	अन्य एस0पी0एस0ई0	19.49	(-)2.37	5	-	5
	कुल	**1,215.92**	**(-)1,137.94**	**14**	**2**	**12**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

** सरकार, एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले एस0पी0एस0ई0*

यह पाया गया कि, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, उर्जा क्षेत्र से संबंधित छह एस0पी0एस0ई0 में से, जिनके पास दीर्घकालिक ऋण थे, एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या तीन से चार के मध्य थी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित सभी तीन एस0पी0एस0ई0, जिनके पास दीर्घकालिक ऋण थे, का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इसमें दो[12] एस0पी0एस0ई0 शामिल हैं जिन्होंने 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान किसी

[10] बिहार राज्य भंडारण निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

[11] पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[12] बिहार राज्य भंडारण निगम और बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड।

ब्याज का भुगतान नहीं किया था। अग्रेतर, 'अन्य' क्षेत्र से संबंधित पाँच एस0पी0एस0ई0 में से, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि शेष चार एस0पी0एस0ई0 का 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। अतः, ये एस0पी0एस0ई0 ब्याज पर अपने व्ययों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी।

5.7 एस0पी0एस0ई0 का वित्तीय निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर0ओ0सी0ई0 की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई0बी0आई0टी0) को नियोजित पूँजी[13] द्वारा विभाजित कर की जाती है। वर्ष 2020–21 से 2022–23 अवधि के दौरान, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 का विवरण, **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7 : नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	ई0बी0आई0टी0	नियोजित पूँजी	आर0ओ0सी0ई0 (प्रतिशत में)
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,134.71	33,331.40	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	239.20	(-)102.72	-
	कुल	**(-)817.25**	**35,342.41**	**-**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)920.75	33,101.58	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	251.71	1,043.49	24.12
	कुल	**(-)590.78**	**36,258.80**	**-**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,221.36	33,005.91	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	251.71	1,043.49	24.12
	कुल	**(-)891.39**	**36,163.13**	**-**

(स्रोत : कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

यह पाया गया कि 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का आर0ओ0सी0ई0 नकारात्मक रहा, जिसका मुख्य कारण दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा हानि वहन करना था। हालाँकि, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, 'अन्य' क्षेत्र से संबंधित एस0पी0एस0ई0 के ई0बी0आई0टी0 में न्यूनतम वृद्धि हुई थी, वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के दौरान नकारात्मक आर0ओ0सी0ई0 सकारात्मक हो गयी तथा यह बढ़कर 24.12 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नियोजित पूँजी की राशि में हुई वृद्धि है (2020–21 में, ₹ 429.59 करोड़, से 2021–22 में, ₹ 1,534.68 करोड़)।

5.7.2 एस0पी0एस0ई0 के अंश पूँजी पर प्रतिफल

अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि लाभ सृजित करने के लिए किसी कम्पनी की सम्पत्ति का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आर0ओ0ई0 की गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को अंशधारकों

[13] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

की अंश पूँजी से विभाजित कर की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए तभी की जा सकती है, जब शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्याएँ हों।

लाभ अर्जित करने वाली 16 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल[14] (आर0ओ0ई0) वर्ष 2022–23 में 2.89 प्रतिशत था। सभी 36[15] कार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनमें हानि वहन करने वाली 15 एस0पी0एस0ई0 एवं शून्य लाभ/हानि वाली पाँच[16] एस0पी0एस0ई0 शामिल थी, का आर0ओ0ई0 2022–23 में नकारात्मक था।

अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय को जोड़कर तथा शुद्ध संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय को कम कर की जाती है। इससे पता चलता है कि यदि किसी कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ बेच दी जाए और एवं ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो उसके अंशधारकों के लिए कितनी सम्पत्ति बचेगी। एक धनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक अंश पूँजी से अभिप्राय है कि देनदारियाँ सम्पत्ति से अधिक हैं।

37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 से संबंधित, अंशधारक निधि एवं आर0ओ0ई0 का विवरण, **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8: एस0पी0एस0ई0 से संबंधित अंश पूँजी पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	विवरण	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	अंशधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आर0ओ0ई0 (प्रतिशतता)
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,723.93	20,213.52	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	33.70	(-)387.50	-
	कुल	**(-)2,019.78**	**19,382.67**	**-**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,011.81	19,235.82	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	43.42	(-)48.74	-
	कुल	**(-)2,297.94**	**18,743.73**	**-**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,243.96	19,170.85	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	43.42	(-)48.74	-
	कुल	**(-)2,530.09**	**18,678.76**	**-**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे)

वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, सभी क्षेत्रों की आर0ओ0ई0 की गणना नहीं की जा सकी, क्योंकि बड़ी संख्या में एस0पी0एस0ई0 की शुद्ध आय ऋणात्मक रही थी, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र की दो[17] एस0पी0एस0ई0, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एक[18] एस0पी0एस0ई0 तथा 'अन्य' क्षेत्र की एक[19] एस0पी0एस0ई0 द्वारा भारी हानि वहन किया जाना था।

---

[14] अंश पूँजी पर प्रतिफल= (कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/अंशधारकों की पूँजी) ×100
(जहाँ अंशधारकों की पूँजी= प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय)।

[15] एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर, जो बिना लाभ/हानि के आधार पर कार्य करता है।

[16] बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[17] साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[18] बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

[19] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम।

5.7.3 निवेश के वर्त्तमान मूल्य (पी0वी0) के आधार पर प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्त्तमान मूल्य पर लाने के लिए, एस0पी0एस0ई0 में, राज्य सरकार द्वारा निवेशित पूर्व के निवेशों/वर्ष–वार निधियों को, सरकार द्वारा लिए गए उधारों पर ब्याज की वर्ष–वार औसत दर, पर संयोजित किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकारी निधि की न्यूनतम लागत माना जाता है। अतः राज्य सरकार के निवेश पर वर्त्तमान मूल्य की गणना, राज्य सरकार द्वारा इन कम्पनियों की स्थापना के पश्चात् से 31 मार्च 2023 तक, परिचालन और प्रबंधन व्ययों के लिए अंश पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी, यदि कोई हो, के रूप में निवेशित निधियों से विनिवेश घटा कर की गई है।

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निवेश की वर्त्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा संचारित निवेश माना गया है, क्योंकि एस0पी0एस0ई0 द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है। अग्रेतर, वैसे मामले जहाँ एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था, अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है तथा उस वर्ष की अंश पूँजी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को, संयोजित दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गए धन पर सरकार द्वारा वहन किए गए लागत को दर्शाता है और इसलिए, इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।

वर्ष 2011–12 से 2022–23 की अवधि के लिए, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, 35[20] कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश की एस0पी0एस0ई0–वार स्थिति, ***परिशिष्ट 5.3*** में दी गई है। 35 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्त्तमान मूल्य की समेकित स्थिति एवं उसी अवधि के लिए कुल अर्जित आय **तालिका 5.9** में दर्शाई गई है।

[20] इसमें चार सहायक एस0पी0एस0ई0, यथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0जी0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0 (एच0)सी0एल0) की एक संयुक्त उद्यम एस0पी0एस0ई0 अर्थात, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0), जो अपनी होल्डिंग कम्पनी के माध्यम से बिहार सरकार से अंश पूँजी प्राप्त करती है, शामिल हैं। इसमें दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात्, पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, तथा लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल नहीं किया गया है, जो बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की सहायक एस0पी0एस0ई0 है।

तालिका 5.9 : वर्ष 2011–12 से 2022–23 की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्ष–वार विवरण एवं सरकारी निवेश का वर्त्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्त्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान निवेश की गयी अंश पूँजी	वर्ष के दौरान दिये गये ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन और प्रबंधन व्ययों के लिए दी गई अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्त्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय
i	ii	iii	iv	v	vi= (iii+iv+v)	vii = (ii + vi)	viii	ix= {vii × (1+viii/100)}	x= ix-vii	xi
2011-12 तक	343.09[21]	0.00	0.00	0.00	0.00	343.09	6.35	364.88	21.79	0.00
2012-13	364.88	8,929.90[22]	0.00	0.00	8,929.90	9,294.78	5.79	9,832.94	538.17	(-)104.75
2013-14	9,832.94	0.10	0.00	0.00	0.10	9,273.09	6.68	9,892.53	619.44	37.18
2014-15	9,892.53	1,475.00	77.00	0.00	1,552.00	10,825.09	6.59	11,538.46	713.37	(-)32.88
2015-16	11,538.46	5,469.59	0.00	0.00	5,469.59	16,294.68	6.58	17,366.87	1,072.19	(-)599.47
2016-17	17,366.87	5,272.38	87.04	0.00	5,359.42	21,654.10	6.42	23,044.29	1,390.19	(-)1642.58
2017-18	23,044.29	9,015.57	0.00	2.50	9,018.07	30,672.17	6.13	32,552.37	1,880.20	(-)7636.25
2018-19	32,552.37	5,119.65	13.96	5.00	5,138.61	35,810.78	6.18	38,023.89	2,213.11	(-)2324.37
2019-20	38,023.89	3,139.25	0.00	7.65	3,146.90	38,957.68	5.68	41,170.48	2,212.80	(-)2500.51
2020-21	41,170.48	1,278.91	0.00	8.33	1,287.24	40,244.92	5.94	42,635.47	2,390.55	(-)2,019.78
2021-22	42,635.47	1,696.83	808.08	7.00	2,511.91	42,756.83	5.70	45,193.97	2,437.14	(-)2,297.94
2022-23	45,193.97	11.60	0.00	0.00	11.60	42,768.43	5.51	45,124.97	2,356.54	(-)2,530.09
कुल		**41,408.78**	**986.08**	**30.48**	**42,425.34**					

वर्ष के अंत में, एस0पी0एस0ई0 में, राज्य सरकार द्वारा निवेशित धनराशि का शेष, 2011–12 के अंत में ₹ 9,294.78 करोड़ से बढ़कर, 2022–23 में ₹ 42,768.43 करोड़ हो गया था। राज्य सरकार ने, 2012–13 से 2022–23 की अवधि के दौरान, इन एस0पी0एस0ई0 में, परिचालन एवं प्रबंधन व्ययों के लिए, अंश पूँजी (₹ 41,408.78 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण (₹ 986.08 करोड़) तथा अनुदान/सब्सिडी (₹ 30.48 करोड़) के रूप में, इन एस0पी0एस0ई0 में, निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार की निवेशित निधियों का वर्तमान मूल्य, ₹ 45,124.97 करोड़ था। 2013–14 को छोड़कर, 2012–13 से 2022–23 तक सभी वर्षों के दौरान, कुल अर्जित आय इन एस0पी0एस0ई0 में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम रही।

5.8 हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0

5.8.1 हानि वहन

वर्ष 2022–23 के दौरान, अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर, 15 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 थी जिन्होंने हानि वहन की थी। अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर,

[21] इन आँकड़ों में 2011–12 तक बिहार सरकार द्वारा 35 एस0पी0एस0ई0 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹ 315.41 करोड़ की अंश पूँजी और ₹ 27.68 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश शामिल हैं।

[22] यह बी0एस0पी0(एच0)सी0एल0 की अंश पूँजी का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद संपत्तियों एवं दायित्वों के स्थानांतरण से निर्मित हुई है, जिसे तत्पश्चात् इसकी चार सहायक एस0पी0एस0ई0 अर्थात बी0एस0पी0जी0सी0एल0, बी0एस0पी0टी0सी0एल0, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को आवंटित कर दिया गया था।

इन एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई हानि, 2020–21 के ₹ 2,483.04 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 2,847.74 करोड़ हो गयी, जैसा कि **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.10 : 2020–21 से 2022–23 के दौरान हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[23]
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	4	(-)1,970.15	21,079.22	8,747.55
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	(-)348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	8	(-)164.06	2,791.03	(-)2,426.32
	कुल	**13**	**(-)2,483.04**	**24,332.12**	**5,864.75**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	4	(-)2,245.31	23,739.00	7,284.02
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	(-)348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	9	(-)165.42	2,791.03	(-)1,699.73
	कुल	**14**	**(-)2,759.56**	**26,991.90**	**5,127.81**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	5	(-)2,333.49	23,739.00	8,243.21
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	(-)348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	9	(-)165.42	2,791.03	(-)1,699.73
	कुल	**15**	**(-)2,847.74**	**26,991.90**	**6,087.00**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के आधार पर)

2022–23 में, 15 एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन किए गए कुल ₹ 2,847.74 करोड़ की हानि में से, ₹ 2,798.28 करोड़ की हानि केवल पाँच एस0पी0एस0ई0[24] द्वारा वहन की गई थी।

ऊर्जा क्षेत्र में दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने मुख्यतः ऊर्जा क्रय लागत एवं अन्य परिचालन लागतों में वृद्धि के कारण हानि वहन की, जबकि उनका राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ा था। बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड ने केवल चालू वित्तीय वर्ष में हानि वहन की थी। कम्पनी ने पिछले वर्षों के संबंधित टैरिफ दरों के समायोजन के कारण हानि वहन की। बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुख्यतः ₹ 26.11 करोड़ के वित्त शुल्क प्रभारित किए जाने के कारण हानि वहन की थी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, लिए गए ऋण में वृद्धि के कारण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 348.83 करोड़ की हानि वहन की, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लागत में ₹ 351.21 करोड़ की वृद्धि हुई। अन्य क्षेत्र में, मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 144.20 करोड़ के ऋणों की राशि पर ब्याज का प्रावधान किए जाने के कारण, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 144.20 करोड़) द्वारा अधिकतम हानि वहन की गई थी।

हानि वहन करने वाले इन 15 एस0पी0एस0ई0 में, इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कुल निवेश ₹ 46,325.17 करोड़[25] था। इन 15 एस0पी0एस0ई0 में से, ₹ 41,908.65 करोड़ का

[23] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से सृजित किए गए सभी संचय किंतु इसमें संपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

[24] साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (ऊर्जा क्षेत्र); बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कृषि और संबद्ध क्षेत्र) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (अन्य क्षेत्र)।

[25] अंश पूँजी: ₹ 32,695.16 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण ₹ 13,630.01 करोड़।

निवेश ऊर्जा क्षेत्र (कुल निवेश का 90.47 प्रतिशत) की पाँच एस0पी0एस0ई0 में किया गया था, जिन्होंने कुल हानि का 81.94 प्रतिशत वहन किया था। अग्रेतर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड द्वारा कुल हानि का 12.25 प्रतिशत वहन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने अंश पूँजी/ऋणों के रूप में ₹ 2,325.80 करोड़ का निवेश किया था।

5.8.2 एस0पी0एस0ई0 में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2023 तक, 14 एस0पी0एस0ई0 की संचित हानि ₹ 27,037.44 करोड़ (***परिशिष्ट 5.4***) थी। इनमें से 10 एस0पी0एस0ई0 ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,754.67 करोड़ की हानि वहन की थी। इन 14 एस0पी0एस0ई0 में से, 10 की निवल संपत्ति उनकी संचित हानि से पूरी तरह क्षरित हो गया था तथा उनकी निवल संपत्ति शून्य अथवा नकारात्मक थी। 31 मार्च 2023 तक, ₹ 303.50 करोड़ अंश पूँजी निवेश के सापेक्ष, इन 10 एस0पी0एस0ई0 की निवल संपत्ति ₹ (–) 3,210.48 करोड़ था। 10 एस0पी0एस0ई0 में से, जिनकी पूँजी क्षरित हो गई थी, दो[26] ने ₹ 7.75 करोड़ का लाभ अर्जित किया था तथा दो[27] एस0पी0एस0ई0 को 2022–23 के दौरान शून्य लाभ/हानि हुई थी। 31 मार्च 2023 तक, इन 10 एस0पी0एस0ई0 में से, पाँच एस0पी0एस0ई0 के पास ₹ 3,631.13 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण थे, जैसा कि **तालिका 5.11** में बताया गया है।

तालिका 5.11 : अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार उन एस0पी0एस0ई0 का विवरण, जिनका निवल संपत्ति क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (+)/(-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जब से निवल मूल्य नकारात्मक है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	राज्य सरकार के ऋण (31 मार्च 2023 तक)
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	99.04	(-)25.35	228.31	(-)129.27	2010-11	68.34	1,009.10
2	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.04	(-)0.03	2015-16	0	0.00
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.04	(-)0.03	2015-16	0	0.00
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	2013-14	5.39	(-)348.83	461.87	(-)456.48	1980-81	5.39	2,320.41
5	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	3.71	7.74	45.30	(-)41.59	1992-93	2.27	72.65
6	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2017-18	15.12	(-)0.13	95.22	(-)80.10	1995-96	15.12	0.00

[26] बिहार राज्य बीज निगम (₹ 7.74 करोड़) एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़)।

[27] पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अपना परिचालन प्रारम्भ नहीं किया था।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (+)/(-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जब से निवल मूल्य नकारात्मक है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	राज्य सरकार के ऋण (31 मार्च 2023 तक)
7	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	(-)0.26	2.32	(-)1.32	2014-15	1.00	0.50
8	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2020-21	77.84	(-)13.00	506.28	(-)428.44	1998-99	39.95	228.47
9	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	0.01	0.16	(-)0.06	2017-18	0.05	0.00
10	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	101.28	(-)144.10	2,174.44	(-)2,073.16	1995-96	74.76	0.00
कुल योग			**303.50**	**(-)523.92**	**3,513.98**	**(-)3,210.48**		**206.88**	**3,631.13**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के आधार पर)

इन एस0पी0एस0ई0 की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत संचालनात्मक आय, राजस्व अनुदान[28], ब्याज आय एवं अन्य विविध प्राप्तियाँ थी। इन 10 एस0पी0एस0ई0 में से, छः एस0पी0एस0ई0 में ₹ 3,209.04 करोड़ का निवल संपत्ति क्षरित हो गया था। इन छः एस0पी0एस0ई0 में से, चार[29] ने मुख्यतः राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में लिए गए ऋण पर वित्तीय लागत के कारण हानि वहन की थी। परिचालन राजस्व शून्य रहने के कारण एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड ने लगातार हानि वहन की थी। हालाँकि, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की संचित हानि थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसने लाभ अर्जित किया था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी कम्पनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा कराने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी निर्गत करने अथवा अनुपूरित करने का अधिकार है। विधान द्वारा शासित कुछ निगमों से यह अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए तथा एक प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाए।

5.10 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामलो में, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

[28] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने ₹ 127.34 करोड़ का राजस्व अनुदान प्राप्त किया।

[29] बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड (₹ 398.52 करोड़), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 144.20 करोड़), बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 26.11 करोड़) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 17.89 करोड़)।

कुल 27[30] कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में से, जिनके लेखा वर्ष 2021–22 एवं उससे पूर्व के वर्षों के लिए बकाये थे, 21 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए की गई थी जबकि शेष छः कार्यशील एस0पी0एस0ई0 तथा 33[31] अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लिए वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी, क्योंकि उनके लेखे क्रमशः तीन से 19 वर्ष एवं सात से 45 वर्ष तक बकाये थे।

5.11 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 ससमय प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक[32] (ए0जी0एम0) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है। इसके तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा अनुपूरक रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ, वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगली ए0जी0एम0 की तिथियों के मध्य 15 महीनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, ए0जी0एम0 में, उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित, पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

जुलाई 2023 तक, विभिन्न एस0पी0एस0ई0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिसके ब्यौरे आगामी कंडिकाओं में दिये गये है।

5.11.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 73[33] एस0पी0एस0ई0 (34 कार्यशील और 39 अकार्यशील) थी। इनमें से, पाँच एस0पी0एस0ई0 को छोड़कर, जो परिसमापन के अधीन हैं, सभी 68 एस0पी0एस0ई0 से वर्ष 2021–22 के लेखे प्राप्य थे। हालाँकि, केवल नौ एस0पी0एस0ई0 ने वर्ष 2021–22 के लिए लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

---

[30] नौ एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए हैं, एक सांविधिक निगम अर्थात्, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जिसके लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है तथा एक सांविधिक निगम अर्थात, बिहार राज्य वित्तीय निगम जिसका लेखापरीक्षक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, को छोड़कर।

[31] एक एस0पी0एस0ई0 जिसने वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए थे तथा पाँच एस0पी0एस0ई0 जो परिसमापन के अधीन हैं, को छोड़कर।

[32] पहली ए0जी0एम0 कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी तथा किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर।

[33] कंडिका 5.11.3 में वर्णित तीन सांविधिक निगमों को छोड़कर।

लेखापरीक्षा के लिए, 31 जुलाई 2023 तक प्रस्तुत किए थे। 59 एस0पी0एस0ई0 (26 कार्यशील और 33 अकार्यशील) के 1,133[34] लेखे, विभिन्न कारणों से बकाया थे जैसा कि ***परिशिष्ट 5.5*** में दिया गया है। एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में, बकाया का विवरण, **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12 : लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण

विवरण		एस0पी0एस0ई0	लेखाओं की संख्या
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या		73	--
घटावः नए कम्पनियाँ जिनसे 2021–22 के लेखे देय नहीं थे		0	0
कम्पनियों की संख्या जिनसे वर्ष 2021–22 के लिये लेखे देय थे		68	68
कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 31 जुलाई 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए लेखे प्रस्तुत किए		09	09
बकाया लेखाओं की संख्या		59[35]	1,133
बकाया का विवरण	(i) परिसमापनाधीन[36]	05	--
	(ii) अकार्यशील	33	1,027
	(iii) अन्य (कार्यशील)	26	106
'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकाया का अवधि–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2021–22)	05	05
	दो वर्ष (2020–21 और 2021–22)	06	12
तीन वर्ष और अधिक		15	89

(स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

तीन[37] सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इनमें बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। 31 जुलाई 2023 से पूर्व किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2021–22 के लेखे, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए थे। 31 जुलाई 2023 तक, तीन सांविधिक निगमों के सात लेखे लंबित थे।

5.12 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण– सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और लेखांकन मानकों हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति पुनर्नामित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण[38] के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे नियमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार किया जाना अपेक्षित होता है।

---

[34] 26 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 106 लेखे और 33 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 1,027 लेखे।

[35] पाँच एस0पी0एस0ई0 को छोड़कर, जो परिसमापन के अधीन हैं।

[36] परिसमापन के अधीन एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं के बकाया की संख्या शून्य मानी जाती है।

[37] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य भंडारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[38] 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, इस उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी द्वारा निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है :

- कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; तथा
- कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013, अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उस इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई0सी0ए0आई0) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

5.13 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका के परिणाम

5.13.1 एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 तक, 29 एस0पी0एस0ई0 से वर्ष 2022–23 एवं पूर्व के वर्षों के लिए 54 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। 24 एस0पी0एस0ई0 के 42 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई तथा छः एस0पी0एस0ई0 के 12[39] लेखों के लिए गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किए गए थे। समीक्षा के परिणामों की विवेचना नीचे की गयी है :

5.13.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

वर्ष 2022–23 के दौरान, ए0जी0एम0 में प्रस्तुत करने से पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एस0पी0एस0ई0 द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन करने का कोई मामला नहीं था।

[39] इसमें मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दो लेखे शामिल हैं, जिसमें गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन थे।

5.13.3 लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का संशोधन

वर्ष 2022–23 के दौरान, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में संशोधन का कोई मामला नहीं था।

5.13.4 टिप्पणियों का प्रभाव

अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान, एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों पर, निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, लाभप्रदाता पर ₹ 568.65 करोड़ एवं वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,154.13 करोड़ था।

5.14 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2023 तक तीन सांविधिक निगमों सहित 76 एस0पी0एस0ई0 थीं। 76 एस0पी0एस0ई0 में से, 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 हैं।
- एस0पी0एस0ई0 ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया था। 62 एस0पी0एस0ई0 के 1,140 लेखे बकाये थे।
- 16 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित ₹ 317.65 करोड़ के कुल लाभ में से, 57.84 प्रतिशत का योगदान तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा किया गया था। 15 एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई ₹ 2,847.74 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 2,798.28 करोड़ की हानि केवल पाँच एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वहन की गई थी।
- अपने अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाली 16 एस0पी0एस0ई0 में से केवल चार एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश की घोषणा की थी। दो एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं किया तथा शेष 10 एस0पी0एस0ई0, जिन्होंने ₹ 240.68 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था, लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

5.15 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि :

- राज्य सरकार एस0पी0एस0ई0 के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है जिससे वह अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, 62 एस0पी0एस0ई0 के 1140 लेखे बकाया थे। ऐसे एस0पी0एस0ई0 में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल के निरीक्षण से बाहर है।
- 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं, न ही इच्छित उद्देश्यों को पूर्ण कर रही हैं। इन 39 एस0पी0एस0ई0 में से, पाँच एस0पी0एस0ई0 10 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। राज्य सरकार को शेष 34 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

- अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाली 16 एस0पी0एस0ई0 में से, केवल चार एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश की घोषणा की थी। राज्य सरकार, एस0पी0एस0ई0 के लिए एक लाभांश नीति बना सकती है।
- राज्य सरकार उन एस0पी0एस0ई0 में हानि के कारणों का विश्लेषण कर सकती है, जिनकी निवल संपत्ति क्षरित हो गई है एवं उनके संचालन को कुशल तथा लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

पटना
दिनांक 09 मई 2024

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 13 मई 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक